सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर
पिन:—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांकः कु0स0का0 / सि0वि0वि0 /2630/2023 दिनांकः 05/01/2023

सेवा में,

1.प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

2. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

3.प्रभारी, एन0सी0सी0
विश्वविद्यालय परिसर।

4. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, एन0एस0एस0
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
विश्वविद्यालय परिसर।

विषय— सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान माह दिनांक 05.01.2023 से दिनांक 04.02.2023 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या— 43 / सत्तर—3—2022—08(14) / 2018 दिनांक 05.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 31.05.2022 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में किये जाने है। सड़क जागरूकता अभियान के अर्न्तगत विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा के प्रति अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण
2. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / रोवर्स रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार—प्रासार
3. सेमिनार / गोष्ठी
4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन
5. जागरूकता कार्यकम
6. सड़क सुरक्षा शपथ

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न शासनादेश के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के आयोजित करायें एवं उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप—1 पर विश्वविद्यालय की इस हेतु निर्धारित ई—मेल आई0डी0 rsc@suksn.edu.in पर दिनांक 03.02.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिससे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी / शासन को सूचना समयान्तर्गत प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय
04.01.23
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः कु0का0 / सि0वि0वि0 /2630/2023 दिनांक 05/01/2023

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—समन्वयक—एन.एस.एस एवं प्रभारी एन.सी.सी. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय।
2—अधिष्ठाता छात्र कल्याण / कुलानुशासक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय।
3—सहा0कुलसचिव (प्रशासन), सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4—निजी सचिव,कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5—प्रभारी कोडिंग को इस आशय से प्रेषित है कि समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन आई0डी0 एवं वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6—सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 43 /सत्तर–3–2022–08(14)/2018

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3. **विशेष कार्याधिकारी,**
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2023**

विषयः–सड़क सुरक्षा जागरूकता माह दिनांक 05.01.2023 से दिनांक 04.02.2023 तक मनाये जाने के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1272/सत्तर–3–2022–08(14)/2018, दिनांक 17 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह **दिनांक 05.01.2023 से दिनांक 04.02.2023 तक मनाये जाने** का निर्णय लिया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालयों/समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा के प्रति अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1. **शिक्षकों का प्रशिक्षण**

   अभियान के अन्तर्गत यथासंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. **एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार–प्रसार**

   (1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।

   (2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

3. सेमिनार/गोष्ठी

प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यो/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।

6. सड़क सुरक्षा शपथ

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

2– उपरोक्तानुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, छात्र/छात्राओं के मध्य उनका वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3– संस्थानों द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रमों की सूचना के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप–I व II संलग्न कर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी एवं अपने अधीन आने वाले स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की सूचना, समस्त निजी विश्वविद्यालय तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स के समन्वयक अपनी सूचना निर्धारित प्रारूप–I पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 तक सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 तक निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे तथा अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ समस्त सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी के रूप में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–ई–189/तीस–3–2022 दिनांक 27–12–2022 के अनुरूप प्रारूप–II की सूचना समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी एवं अपने अधीन आने वाले स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की सूचना, समस्त निजी विश्वविद्यालय तथा एन.सी.सी. /एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स के समन्वयक की सूचना अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ द्वारा संकलित कर दिनांक 04 फरवरी, 2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी के रूप में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
06.1.23
(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–43 /सत्तर–3–2022–तद्‌दिनॉक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उ0प्र0 शासन।
6– निदेशक सूचना, उ0प्र0।
7– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
10– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त दोनों प्रारूपों की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11– गार्ड फाइल।

05/01/2023

8
5.1.2023

आज्ञा से,
05/1/2023
(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा माह मनाये जाने के सम्बन्ध में

प्रारूप–1

दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक

क०सं०	गतिविधि	भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय		
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षकों का प्रशिक्षण (जनपद स्तरीय)				
2	**NCC/NSS/ Rover Rangers** द्वारा जन समान्य के लिये जागरूकता अभियान/सड़क सुरक्षा रैली				
3	वॉलराइटिंग				
4	सेमिनार/गोष्ठी				
5	यातायात पुलिस के अधिकारियों/ कर्मचारियों को आमंत्रित कर संस्थानों में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम				
6	रोड सेफ्टी क्लब का गठन				
7	जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन				
8	सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण				

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा माह मनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–ई–189/तीस–3–2022 दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के साथ संलग्न कार्यक्रम के अनुसार

प्रारूप–2

दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक

क0सं0	दिनांक	दिन	बिन्दु
1	05–01–2023	गुरूवार	उद्घाटन एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण–समस्त जनपद, समस्त विभाग (1) एन.ई.डी. वाहन/प्रचार रथ का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ। (2) कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधन व उद्घाटन। (3) सड़क सुरक्षा जागरूकता सम्बन्धी पोस्टर, स्टीकर, हैंडबिल एवं पम्पलेट का जन–मानस में वितरण। (4) पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार–प्रसार। (5) सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित वीडियो को शिक्षा विभाग की सभी ऑनलाइन कक्षाओं में दिखाया जाना। (6) सी0आर0आर0आर0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता से सम्बन्धित ऑनलॉइन प्रशिक्षण।
2	06–01–2023	शुक्रवार	सी0आर0आर0आई0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता से सम्बन्धित ऑनलाइन प्रशिक्षण
3	07–01–2023	शनिवार	उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0एस0 के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिता।
4	08–01–2023	रविवार	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हेल्थ कैम्प का आयोजन, जिसमें चालकों/परिचालकों, यातायात पुलिस कार्मियों/प्रवर्तन सिहाहियों एवं स्कूली वाहन चालकों का स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण
5	09–01–2023	सोमवार	उच्च शिक्षा के छात्रों को सड़क को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित जानकारी देने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य एवं यातायात विभाग से जुड़े जनपद अधिकारी को आमंत्रित किया जाय।
6	10–01–2023	मंगलवार	महाविद्यालय स्तर पर रोड सेफ्टी क्लबों के सदस्यों एवं अन्य छात्रों के द्वारा नुक्कड़ नाटक
7	11–01–2023	बुधवार	एन0एस0एस0 वालेंटियर द्वारा मलिन बस्ती एवं अभिगृहीत गॉव में जागरूकता अभियान।
8	12–01–2023	गुरूवार	सी0आर0आर0आई0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता का ऑनलाइन प्रशिक्षण
9	14–01–2023	शनिवार	उच्च शिक्षण संस्थाओं में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0एस0 के छात्रों द्वारा निबन्ध एवं भाषण।
10	15–01–2023	रविवार	जनपद स्तर पर महिलाओं की दोपहिया रैली
11	22–01–2023	रविवार	परिवहन विभाग के सहयोग से समस्त स्कूली वाहनों की फिटनेस की जॉच। परिवहन निगम की बसों में निगम के अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा

			मानकों–सीट बेल्ट, बैक मिरर, बैक लाइट, इंडीकेटर, फॉग लाइट व रेट्रो रिफलेक्टिव टेप के लगे होने का सत्यापन तथा न लगा पाये जाने पर लगाये जाने की कार्यवाही। ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही।
12	26–01–2023	गुरूवार	ध्वजारोहण के पश्चात संविधान की प्रतिज्ञा के साथ–साथ सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण।
13	27–01–2023	शुक्रवार	समस्त जनपदों में परिवहन विभाग के कार्यालयों को जोड़ते हुए यूनाइटेड वे मुम्बई द्वारा सेफ ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त विभागों के प्रशिक्षणार्थी जनपद के परिवहन कार्यालयों में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें।
14	29–01–2023	रविवार	सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु समस्त विभागों द्वारा जनपद स्तर पर मानव श्रंखला का आयोजन किया जाना तथा समापन के समय सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना।
15	30–01–2023	सोमवार	उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0एस0 के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं निबन्ध प्रतियोगिता।
16	31–01–2023	मंगलवार	रोड सेफ्टी क्लबों के सदस्यों द्वारा हेलमेट, सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, ड्रंकन ड्राइविंग व रांगसाइड के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करना।
17	03–02–2023	शुक्रवार	जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट का संकलन एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण।
18	04–02–2023	शनिवार	**समापन समारोह का आयोजन–** जिला स्तर पर गुड सेमेरिटन, ट्रैफिक पुलिस, चिकित्सकों को रोड सेफ्टी चैम्पियन के तौर पर सम्मानित करना जिसमें परिवहन निगम प्रत्येक जनपद से अपने चालकों/परिचालकों में से तीन श्रेष्ठ चालकों परिचालकों को भी सम्मानित करायेगा। प्रत्येक जनपद में सर्वश्रेष्ठ तीन मास्टर ट्रेनर को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाना।

File No.30-3099/457/2022- संख्या - 4397 / सत्तर-3-2022

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 28/12/22

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

महत्वपूर्ण

संख्या-ई-189/तीस-3-2022

संख्या 2242 /VIP/PSHED/2022

वि० स० (AK) | JS(SKS) | US(A) | SO-3

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

28/12/22
(डा० सुधीर एम० बोबडे)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2022

विषय:- दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक "सड़क सुरक्षा माह" मनाये जाने के सम्बन्ध में।

294/US(A)/22
JS(SKS)

महोदय,

अवगत हैं कि सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के सम्बन्ध में जनमानस के प्रति जागरूकता लाये जाने के उद्देश्य से दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 18.06.2022 तक "विशेष सड़क सुरक्षा माह" का आयोजन किया गया था।

2. सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके निमित्त जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक "सड़क सुरक्षा माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

29/12/22
(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार "सड़क सुरक्षा माह" के अन्तर्गत विभिन्न आयोजनों एवं गतिविधियों को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित कराया जाय।

US/SO-3
तुरन्त

संलग्नक-यथोक्त।

29/12/2022

29.12.22

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 27-12-2022 11:03:13
Reason: Approved
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-गृह विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यिमक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने के लिए सम्बन्धित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें तथा उक्त कार्य हेतु अलग से किसी प्रकार का बजट देय नहीं होगा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी - यूपीडा / उपशा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, एन.एच.ए.आई. (पूर्वी/पश्चिमी) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु समुचित उपाय करना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)

प्रमुख सचिव।

दिनांक-05.01.2023 से 04.02.2023 तक मनाये जाने वाले "सड़क सुरक्षा माह" के कार्यक्रम की रूपरेखा

क्र0 सं0	दिनांक	दिन	परिवहन विभाग (परिवहन निगम सहित)	पुलिस विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल- लो0नि0वि0)	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
1	05-01-2023	गुरूवार	उद्घाटन एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण- समस्त जनपद, समस्त विभाग। (1) एल.ई.डी. वाहन/प्रचार रथ का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ । (2) कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतितिधियों /वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधन व उद्घाटन। (3) सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी पोस्टर, स्टीकर, हैंडबिल एवं पम्पलेट का जन-मानस में वितरण। (4) पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार। (5) सड़क सुरक्षा से संबंधित वीडियो को शिक्षा विभाग की सभी ऑनलाइन कक्षाओं में दिखाया जाना। (6) सी0आर0आर0आई0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबधित ऑनलाइन प्रशिक्षण						
2	06-01-2023	शुक्रवार	सभी जनपदीय कार्यालयों के कर्मचारी एवं अधिकारियों का सड़क सुरक्षा के संबध में आनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना। ड्राइविंग रेगुलेशन, 2017 एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के बारे में अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना।	यातायात कर्मियों के कार्य व्यवहार, टर्न आउट व आचरण में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाये एवं यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात संकेतों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाय। ड्राइविंग रेगुलेशन, 2017 एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के बारे में अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना।	जिला अस्पतालों में वाहन चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया जाना।	सी0आर0आर0आई0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यो का सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबधित ऑनलाइन प्रशिक्षण	समस्त सड़क निर्माण विभाग/एजेंसी के मुख्यालय द्वारा अपने समस्त अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंताओं का सी0आर0आर0आई, किसी आई0आई0टी0 अथवा मोर्थ द्वारा नामित संस्था के द्वारा सड़क सुरक्षा के संबध में ऑनलाइन संवेदीकरण/ प्रशिक्षण, जिसमें ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण पर विशेष बल दिया जाये।	सभी सरकारी विज्ञापनों (दूरदर्शन, होर्डिंग तथा समाचार पत्र) में सड़क सुरक्षा संबंधी नारों का प्रकाशन। एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी ऑडियो-विडियो सामाग्री का प्रसारण।

3	07-01-2023	शनिवार	जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन तथा बैठक में सड़क सुरक्षा माह के आयोजन पर विशेष बल देकर कार्यक्रमों का आयोजन कराना।		उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0एस0 के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिता।	जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन तथा बैठक में सड़क सुरक्षा माह के आयोजन पर विशेष बल देकर कार्यक्रमों का आयोजन कराना।	
4	08-01-2023	रविवार	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हेल्थ कैम्प का आयोजन, जिसमें चालकों/परिचालकों, यातायात पुलिस कर्मियों/प्रवर्तन सिपाहियों एवं स्कूली वाहन चालकों का स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण				
5	09-01-2023	सोमवार	ट्रैक्टर मालिकों एवं चालकों को प्रशिक्षित किया जाये तथा उन्हें रेलवे क्रांसिग पर ट्रैक्टर पार करने एवं मोड़ पर ट्रैक्टर चलाने के संबध में जागरूक किया जाये। ट्रैक्टर ट्रॉली पर गन्ना मिल तथा स्वयं सेवी संस्थाओं तथा अन्य संस्थान/कम्पनी से प्रायोजित कराकर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाने हेतु प्रेरित किया जाये व लगवाया जाये।	108 एम्बुलेंस के चालकों एवं ईएमटी की क्रियाशीलता का मूल्यांकन।	उच्च शिक्षा के छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा से संबधित जानकारी देने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य एवं यातायात विभाग से जुड़े जनपद अधिकारी को आमंत्रित किया जाये।	1. वर्ष 2019 एवं 2020 में चिन्हित अवशेष ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण, 2. पुल-पुलिया एवं अवैध कट का स्थलीय निरीक्षण द्वारा चिन्हांकन एवं चिन्हित कमियों के निराकरण हेतु कार्यवाही ।	सार्वजनिक स्थानों जैसे- प्रमुख चैराहे, कलेक्ट्रेट, आर0टी0ओ0 कार्यालय, रोडवेज बस स्टैण्ड एवं मण्डी समिति पर नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, लोकगीत, गीत नाटय व गायक मण्डली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना।
6	10-01-2023	मंगलवार			महाविद्यालय स्तर पर रोड सेफ्टी क्लबों के सदस्यों एंव अन्य छात्रों के द्वारा नुक्कड़ नाटक .		
7	11-01-2023	बुधवार	मोबाइल फोन का प्रयोग एवं ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध जागरूकता एवं चेकिंग की जायेगी।	सरकारी एम्बुलेंसेस के मानव संसाधन औषधि	एन0एस0एस0 वालेंटियर द्वारा मलिन बस्ती एवं अभिगृहित गॉव		

			परिवहन निगम अपने चालकों एवं परिचालकों की नशा करके बस चलाने एवं ओवरस्पीडिंग के विरुद्ध चैकिंग कर उन्हें जागरूक करने की कार्यवाही।	एवं उपकरण की दक्षता एवं क्रियाशीलता का मूल्यांकन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण।	में जागरूकता अभियान (माध्यमिक व उच्च शिक्षा)		
8	12-01-2023	गुरूवार			सी0आर0आर0आई0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता का ऑनलाइन प्रशिक्षण	1. वर्ष 2021 एवं 2022 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधारीकरण। 2. पुल पुलिया में पायी जाने वाली कमियों का सुधार किया जाना। 3. अवैध कट को बंद कराये जाने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग द्वारा कार्यवाही। 4. एन0आई0सी के रोल आउट मैनेजर के सहयोग से आई0रेड एप के प्रयोग हेतु अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, एवं अवर अभियंताओं का सघन प्रशिक्षण।	
9	13-01-2023	शुक्रवार	बस यूनियन के माध्यम से बसों के चालकों/परिचालकों को सड़क सुरक्षा के संबध में प्रशिक्षित किया जाना।	जिला स्तरीय अस्पतालों में चालकों एवं परीचालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण।			
10	14-01-2023	शनिवार	ऑटो, टैम्पो, टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सहयोग से चालकों को सड़क सुरक्षा के संबध में प्रशिक्षण/जागरूक किया जाना। निगम के सभी बस स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा चालकों/ परिचालकों एवं यात्रियों को ऑडियो/विडियो सामग्री द्वारा सड़क सुरक्षा के संबध में जागरूक किया जाये। आकाशवाणी एवं एफ0एम0 रेडियो के माध्यम से सुरक्षित यातायात के संबध में जानकारी देना।		उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0 एस0 के छात्रों द्वारा निबंध एवं भाषण		
11	15-01-2023	रविवार	जनपद स्तर पर महिलाओं की दोपहिया रैली				
12	16-01-2023	सोमवार	एन0सी0सी0 कैडेट/ एनएसएस/स्काउट गाइड/रोवर रैंजर के छत्र छात्राओं एवं यातायात कर्मियों के सहयोग से प्रमुख चैराहों पर पैदल यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना।	मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सैंटर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु मेडिकल/डैंटल/ पैरामेडिकल छात्रों में क्विज प्रतियोगिता	माध्यमिक स्कूली छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित निबन्ध प्रतियोगिता ऑनलाइन/ ऑफलाइन गतिविधि।		सभी सरकारी विज्ञापनों (दूरदर्शन, होर्डिंग तथा समाचार पत्र) में सड़क सुरक्षा संबंधी नारों का प्रकाशन। एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से
13	17-01-2023	मंगलवार	परिवहन निगम की बसों में निगम के अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा मानकों- सीटबेल्ट, बैक मिरर, बैक लाइट, इंडीकेटर, फॉग लाइट व रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के लगे होने का सत्यापन तथा न लगा पाये जाने पर लगाये		माध्यमिक शिक्षा के छात्रों (एन0सी0सी0/एनएसएस/ स्काउट गाइड) के सहयोग से प्रमुख चैराहों पर पैदल यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना।		

			जाने की कार्यवाही।				
15	19-01-2023	गुरुवार	[illegible] हेतु [illegible] एवं [illegible] पादचारी के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम। नो पार्किंग के विरुद्ध चेकिंग अभियान। दोपहिया में तीन सवारी के विरुद्ध चेकिंग अभियान। वाहनों में हूटर, सायरन व प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध चेकिंग अभियान।	[illegible] को का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर।	माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जानकारी देने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य एवं यातायात विभाग से जुड़े जनपद अधिकारी को आमंत्रित किया जाये।		सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी ऑडियो-विडियो सामाग्री का प्रसारण।
16	20-01-2023	शुक्रवार	सेव लाइफ फाउण्डेशन द्वारा वाहन चालकों को फर्स्ट रिस्पॉण्डर की ट्रेनिंग। एन०एच०ए०आई० के सहयोग से टोल प्लाजा पर रोड सेफ्टी कार्यक्रम एवं चालकों का हेल्थ चेकप कैम्प का आयोजन। हाई वे पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध चेकिंग अभियान।	प्रत्येक टोल-प्लाजा पर व्यावसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण।	रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के छात्रों एवं उनके अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।		
17	21-01-2023	शनिवार	ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा, बस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से बैठक बुलाकर यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना। बिना ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के संचालित ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही । जनपद स्तर पर ई-रिक्शा के नियंत्रित संचालन हेतु मार्गों का निर्धारण। सभी जनपदों में सार्वजनिक यात्री सेवायान से यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु जागरूक किया जाना इस हेतु परिवहन निगम अपने चालकों/परिचालकों को भी जागरूक करेगा।	सभी 108 सरकारी एवं निजी एम्बुलेंस का मानक के अनुरूप मूल्यांकन।	माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन।		

18	22-01-2023	रविवार	परिवहन विभाग के सहयोग से समस्त स्कूली वाहनों की फिटनेस की जाँच। परिवहन निगम की बसों में निगम के अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा मानकों- सीटबेल्ट, बैक मिरर, बैक लाइट, इंडीकेटर, फॉग लाइट व रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के लगे होने का सत्यापन तथा न लगा पाये जाने पर लगाये जाने की कार्यवाही। ओवरस्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही।				
19	23-01-2023	सोमवार	ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा, बस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से बैठक बुलाकर यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना। बिना ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के संचालित ई-रिक्शा चालकों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही । जनपद स्तर पर ई-रिक्शा के नियंत्रित संचालन हेतु मार्गों का निर्धारण। सभी जनपदों में सार्वजनिक यात्री सेवायान से यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु जागरूक किया जाना इस हेतु परिवहन निगम अपने चालकों/परिचालकों को भी जागरूक करेगा।	सभी 108 सरकारी एवं निजी एम्बुलेंस का मानक के अनुरूप मूल्यांकन।	विद्यालय स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन।	समस्त निर्माण एजेंसी के स्वामित्व वाले समस्त वाहनों पर मानकानुसार रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाने की कार्यवाही।	सार्वजनिक स्थानों जैसे- प्रमुख चौराहे, कलेक्ट्रेट, आर0टी0ओ0 कार्यालय, रोडवेज बस स्टैण्ड एवं मण्डी समिति पर नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, लोकगीत, गीतनाट्य व गायक मण्डली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना।
20	24-01-2023	मंगलवार	जनपद स्तर पर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना। निगम के सभी बस स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा चालकों/ परिचालकों एवं यात्रियों को ऑडियो/विडियो सामग्री द्वारा सड़क सुरक्षा के संबध में जागरूक किया जाये।	मेडिकल, दंत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल के छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला।	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गठित स्कूल प्रबंध समिति की बैठक में अभिवावकों को आमंत्रित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।	समस्त मार्गों पर पूर्व से लगे हुए रोड साइनेज का आवश्यकतानुसार रिपेयर/ रिपलेसमेंट/रिलोकेट करने हेतु स्थलीय निरीक्षण एवं चिंहीकरण की कार्यवाही किया जाना तथा उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण किया जाना।	
21	25-01-2023	बुधवार			मास्टर ट्रेनर एवं प्रधान अध्यापकों के माध्यम से बेसिक	रोड साइनेज की स्पष्ट दर्शयता हेतु साफ-सफाई एवं	

					शिक्षा विभाग के छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये।	आस-पास उगी झाड़ियों की छटाई किया जाना।	
22	26-01-2023	गुरुवार	ध्वजारोहण के पश्चात संविधान की प्रतिज्ञा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण।				
23	27-01-2023	शुक्रवार	समस्त जनपदों में परिवहन विभाग के कार्यालयों को जोड़ते हुए यूनाइटेड वे मुम्बई द्वारा सेफ ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त विभागों के प्रशिक्षणार्थी जनपद के परिवहन कार्यालयों में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें।				सभी सरकारी विज्ञापनों (दूरदर्शन, होर्डिंग तथा समाचार पत्र) में सड़क सुरक्षा संबंधी नारों का प्रकाशन। एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी ऑडियो-विडियो सामाग्री का प्रसारण।
24	28-01-2023	शनिवार	सामान्य बीमा कम्पनी (GIC) के सहयोग से सड़क सुरक्षा में मोटर वाहन बीमा विषय पर वर्कशॉप का आयोजन। ड्राइविंग लाइसेंस व बीमा के विरूद्ध चैंकिग अभियान। निगम के सभी बस स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा चालकों/ परिचालकों एवं यात्रियों को ऑडियो/विडियो सामग्री द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये।	आई0रेड एप का सघन प्रशिक्षण- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	जनपद स्तर के बेसिक शिक्षकों एवं नगर क्षेत्र के छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा से संबधित जानकारी देने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य एवं यातायात विभाग से जुड़े जनपद अधिकारी को आमंत्रित किया जाये।	1. वर्ष 2021 एवं 2022 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण, 2. समस्त मार्गों पर पूर्व से लगे हुए रोड साइनेज का आवश्यकतानुसार रिपेयर/रिपलेसमेंट/रिलोकेट करने हेतु स्थलीय निरीक्षण एवं चिंहिकरण की कार्यवाही किया जाना तथा उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण किया जाना। 3. रोड साइनेज की स्पष्ट दृश्यता हेतु साफ-सफाई एवं आस-पास उगी झाड़ियों की छटाई किया जाना।	
25	29-01-2023	रविवार	सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु समस्त विभागों द्वारा जनपद स्तर पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाना तथा समापन के समय सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना।				
26	30-01-2023	सोमवार	लेन ड्राइविंग एवं रांग साइड ड्राइविंग के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान जिसमें परिवहन निगम के चालकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी तथा सम्बन्धित अपराधों की प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।	आई0रेड एप का सघन प्रशिक्षण- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0एस0 के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता।		
27	31-01-2023	मंगलवार	हेल्मेट एवं सीटबेल्ट के संबध में लोगों को जागरूक करना एवं चेकिंग अभियान। (शहरी क्षेत्र) परिवहन निगम अपने चालकों परिचालकों की नशा करके बस चलाने एवं ओवरस्पीडिंग के विरूद्ध चैंकिग कर उन्हें जागरूक करने की कार्यवाही की जायेगी।	प्रत्येक क्रियाशीलता ट्रामा सेन्टरों में मानव संसाधन, औषधि एवं उपकरण की उपलब्धता की मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर समीक्षा एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण।	रोड सेफ्टी क्लबों के सदस्यों द्वारा हेल्मेट, सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, ड्रंकन ड्राइविंग व रांगसाइड के संबध में लोगों को जागरूक करना। (माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग)		

28	01-02-2023	बुधवार	हेल्मेट एवं सीटबेल्ट के संबध में लोगों को जागरूक करना एवं चेकिंग अभियान। (ग्रामीण क्षेत्र) परिवहन निगम अपने चालकों परिचालकों की नशा करके बस चलाने एवं ओवरस्पीडिंग के विरूद्ध चेंकिग कर उन्हें जागरूक करने की कार्यवाही की जायेगी।	आई0रेड एप का सघन प्रशिक्षण- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग			
29	02-02-2023	गुरूवार	जनपद स्तर पर सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा नवोन्मेषी कार्यक्रम की प्रस्तुति (ऑनलाइन/ऑफलाइन) जिसमें परिवहन निगम के जनपद स्तरीय अधिकारी अपना प्रतिभाग सुनिश्चित करेंगे। अपरान्ह में ओवरलोडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित समस्त कार्यक्रमों का रिपोर्ट संकलन, समीक्षा एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण।	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के छात्रों द्वारा पोस्टर क्विज एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।		सभी सरकारी विज्ञापनों (दूरदर्शन, होर्डिंग तथा समाचार पत्र) में सड़क सुरक्षा संबंधी नारों का प्रकाशन। एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी ऑडियो-विडियो सामाग्री का प्रसारण
30	03-02-2023	शुक्रवार			जिला विद्यालय निरीक्षक/ बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित समस्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट का संकलन एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण।	लोक निर्माण विभाग द्वारा समस्त सड़क निर्माण एजेंसी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार समस्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट संकलन, समीक्षा एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण।	
31	04-02-2023	शनिवार	<u>समापन समारोह का आयोजन</u>- जिला स्तर पर गुड सेमेरिटन, ट्रैफिक पुलिस, चिकित्सकों को रोड सेफ्टी चैम्पियन के तौर पर सम्मानित करना जिसमें परिवहन निगम प्रत्येक जनपद से अपने चालकों/ परिचालकों में से तीन श्रेष्ठ चालकों परिचालकों को भी सम्मानित करायेगा। प्रत्येक जनपद में सर्वश्रेष्ठ तीन मास्टर ट्रेनर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाना।				

नोट- माह के प्रत्येक दिवस पब्लिक एड्रेस सिस्टम/एल0ई0डी0 स्क्रीन/एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा का ऑडियो-विजुअल प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा शिविर, सेमिनार, रैली के कार्यक्रमों के अंत में तथा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में प्रार्थना सभा में प्रार्थना के उपरान्त सड़क सुरक्षा शपथ दिलाया जाना।